रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-29112022-240649 CG-DL-E-29112022-240649

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5308] No. 5308] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 29, 2022/अग्रहायण 8, 1944 NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 29, 2022/AGRAHAYANA 8, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2022

सं. 99/2022-सीमाश्ल्क (गै.टे.)

का.आ. 5540(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 51क की उपधारा (4) के तहत प्रदत्त शुक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, एततद्वारा, अधिसूचना सं. 19/2022-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 30 मार्च, 2022, जिसे का.आ. 1512(अ), दिनांक 30 मार्च, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, को इस प्रकार संशोधित करती है, यथा,-

उक्त अधिसूचना में, उपवाक्य 2 में, अंक अक्षर और शब्द "30 नवम्बर 2022" के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द "01 अप्रैल, 2023 को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 442/02/2017-सीमाश्ल्क IV (पार्ट)]

अनंत राधाकृष्णन, उपसचिव

7926 GI/2022 (1)

नोट: प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना सं. 19/2022-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 30 मार्च, 2022 के रूप में का.आ. 1512(अ), दिनांक 30 मार्च, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अधिसूचना सं. 48/2022-सीमाशुल्त (गै.टे.), जिसे का.आ. 2494(अ), दिनाकं 31 मई, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th November, 2022

No. 99/2022-Customs (N.T.)

S.O. 5540(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 51A of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs, on being satisfied that it is necessary and expedient to do so, hereby amends the notification No.19/2022-Customs (N.T.) dated the 30th March 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide S.O. 1512 (E), dated the 30th March, 2022, namely, -

In the said notification, in clause 2, for the figures, letters and word "30th November, 2022", the figures, letters and word "1st April, 2023", shall be substituted.

[F. No. 442/02/2017-Cus IV(Pt)]

ANANTH RATHAKRISHNAN, Dy. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), vide notification no. 19/2022—Customs (N.T.), dated the 30th March, 2022, vide number S. O. 1512 (E), dated the 30th March, 2022 and was amended by notification number 48/2022-Customs (N.T.) dated the 31st May, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 2494 (E), dated the 31st May, 2022.